न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 3771/2018

सुभाष उर्फ डॉन उर्फ पहलवान पुत्र देशराज उर्फ देशा
निवासी ग्राम मुलैहड़ी, मोलाहेड़ी, थाना मन्सूरपुर,
जनपद मुफफरनगर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

धारा– 411, 414 भादंसं0
अपराध संख्या –577/2018
थाना–नई मंडी,
जनपद –मुजफफरनगर।

1. जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **सुभाष उर्फ डॉन उर्फ पहलवान पुत्र देशराज उर्फ देशा** की ओर से अपराध संख्या 577/2018 धारा 411, 414 भारतीय दंड संहिता थाना नई मंडी, जनपद मुजफफरनगर में प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियोजन कथानक फर्द बरामदगी दिनांकित 30–6–2018 के आधार पर संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है कि दिनांक 29–6–2018 को पुलिस पार्टी वास्ते शांति व्यवस्था, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व गश्त में मामूर थी कि मेरठ की तरफ से दो मोटर साईकिल पर चार लड़के आते देख उन्हें रोकने का प्रयास किया परन्तु वे नहीं रूके और जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर किये जिससे पुलिस पार्टी बाल बाल बच गयी। बदमाश मोटर साईकिल पर भोपा पुल के नीचे से होते हुए शहर की तरफ भागने लगे। बदमाशों का पीछा किया गया । शांति नगर के सामने चारो बदमाश तुलसीनगरकी ओर अपनी मोटर साईकिल मोकर भागने लगे । हडबडाहट में दोनो मोटर साईकिल कच्चे में गिर गयी । पुनः पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किये गये जिससे पुलिस पार्टी बाल बाल बच गयी । पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किये गये जिसमें एक बदमाश को गोली लगी। बदमाश के पास पहुचकर देखा तो उसके दाहिने पैर के घुटने में गोली लगी थी। उससे 100–150 मीटर की दूरी पर भागे हुए तीनों बदमाशों को उपनिरीक्षक सुखबीर सिंह पकड़कर लाये। घायल बदमाश ने अपना नाम आरिफ उर्भ भोलू, दूसरे ने अमित पुत्र डॉन तीसरे ने अमित पुत्र कर्मवीर व चौथे ने आदित्य बताया । उनसे अवैध असलाह की बरामदगी की गयी । घायल बदमाश के पास पड़ी मोटर साईकिल संख्या यू0पी0–12–एक्यू–9063 व कुछ दूरी पर पड़ी मोटर साईकिल संख्या यूपी–12–एएन–6961 बरामद की गयी । पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि एक मोटर साईकिल बिना नम्बर की आरिफ ने अपने साथी अरशद उर्फ बन्दर, सलीम, व रिजवान ने तथा दूसरी उन चारों ने यू0पी0–12–एआर–4288 एक माह पूर्व जटमुझेडा जंगल से छीनी थी। दोनो मोटर साईकिल गैमक्सीन फैक्ट्री से आगे एक बन्द पड़े कमरे में छिपा

कर रखी हुई है। घायल बदमाश को उपचार हेतु भेजा गया तथा अन्य की निशानदेही पर दो मोटर साईकिलों की बरामदगी करायी। बरामदशुदा मोटर साईकिलो के संबंध में मुकदमें दर्ज है।

3. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने गंभीर अपराध कारित किया है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी ।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को पार्टीबन्दी के कारण झूठा फॅसाया गया है। उससे किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 18–9–2018 को अवर न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। सह अभियुक्त अमित पुत्र करमवीर की जमानत दिनांक 13–8–2018 को सेशन न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उसके द्वारा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में 4 ख प्रस्तुत किया गया ।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि फर्द बरामदगी दिनांकित 30–6–2018 के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफतार व बरामदगी दर्शायी गयी है। फर्द बरामदगी में जनता का कोई गवाह नहीं है। धारा 100 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। सह अभियुक्त अमित की जमानत सेशन न्यायालय द्वारा दिनांक 13–8–2018 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त तथ्यों को पुलिस प्रपत्रों के आधार पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा स्वीकार किया गया है।

6. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्को को सुना गया तथा समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया ।

7. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **संजय चन्द्रा बनाम सी0बी0आई0 ए0आई0आर0 2012 सुप्रीम कोर्ट 830** एवम् **दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य दांडिक अपील संख्या 227/2018 निर्णित दिनांक 6.2.2018** में प्रतिपादित किये गये विधि सिद्वान्त को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित आधार उचित एवं पर्याप्त है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र बिना गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त **सुभाष उर्फ डॉन उर्फ पहलवान पुत्र देशराज उर्फ देशा** के द्वारा अंकेन 1,00,000/– एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर निष्पादित करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जावे ।

1. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा और आरोप विरचित किये जाने, अभियोजन साक्ष्य अंकित किये जाने व धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता का बयान अंकित किये जाने हेतु नियत प्रत्येक तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित रहेगा, अन्य तिथियों पर यदि प्रार्थी/अभियुक्त बिना संतोषजनक कारण के अनुपस्थित होता है तो यह माना जायेगा कि उसके द्वारा जमानत के दायित्वों का दुरूपयोग किया गया और विचारण न्यायालय धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता व धारा 174 ए, 229ए भारतीय दंड संहिता के तहत आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

2. प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में विचारण में विलंब नहीं करेगा।

3. प्रार्थी/अभियुक्त बिना किसी स्थगन के विचारण में सहयोग करेगा।

4. प्रार्थी/अभियुक्त किसी अवैधानिक क्रियाकलाप को कारित करने में सम्मिलित नहीं होगा ।

संबधित न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त के जमानतदारों की पहचान, स्थिति व निवास स्थान का सत्यापन करेगी । यदि उपरोक्त किसी शर्त का उल्लंधन किया जाता है तो संबंधित न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त करते हुए उसे जेल भेजेगी ।

संजय कुमार पचौरी
सेशन न्यायाधीश
मुजफफरनगर।

दिनांकः 12–10–2018